

144-2015 प्राथिया सुनीता के वकील के प्राथना पत्र पर पत्रावली आज पेड्री में ली गई। सायल के वकील ने प्राणपत्र इस आशय का पेश किया है कि लोक अदालत की भावना से पक्षकारों में वाजीनामा हो गया है। प्राथिया इस प्रकरण को चलाना नहीं चाहती है, अतः ब्रीच प्राणपत्र खारिज फरमाया जावे।

प्राथिया के वकील के प्राणपत्र पर यह ब्रीच प्राणपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल नुमांर होकर मम्बर से कम हो एवं बाद तकमील कार्खिल दफ्तर हो।

**अप जिला कलेक्टर**  
गंगपुर सिटी

उपरोक्त पत्र